राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांकः प. 6(20) प्रसु./अनु–3/2019–04579 जयपुर,दिनांकः

:: आदेश ::

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है एवं देश के भू भाग का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है। देश की लगभग 5.67 प्रतिशत जनसंख्या यहॉ निवास करती है। देश की 13.88 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि एवं 11 प्रतिशत पशुधन भी इस प्रदेश में है।

देश के मुकाबले प्रदेश में केवल 1.16 प्रतिशत सतही जल एवं 1.72 प्रतिशत भूजल संसाधन ही उपलब्ध है। सतही जल की कमी के कारण प्रदेश में खाद्यान्न एवं कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास तथा स्वच्छ एवं अबाध पेयजल के लिए भूजल संसाधनों पर निर्भरता बहुत अधिक है।

राज्य में कृषि, औद्योगिक इकाईयों एवं घरेलू उपयोग के अनियंत्रित दोहन के फलस्वरूप भूजल स्तर में लगातार गिरावट के साथ–साथ भूजल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव दृष्टिगत हो रहा है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य का लगभग 72 प्रतिशत भाग अतिदोहित श्रेणी में आ गया है।

वर्तमान परिस्थिति में राज्य में भूजल की अत्यधिक कमी के कारण भूजल के नियंत्रित दोहन के साथ–साथ भूजल संसाधनों का प्रबंधन व प्रभावी नियंत्रण प्राथमिकता से किया जाना अत्यन्त प्रासंगिक है। जिससे राज्य के गिरते भूजल स्तर को प्रभावी रूप से रोके जाने, भूजल की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार के साथ–साथ आमजन को सतत् और निर्बाध पेयजल/घरेलू उपयोग तथा कृषि कार्यों के लिए जल की उपलब्धता भविष्य के लिए सुनिश्चित की जा सके।

इन परिस्थितियों में कृत्रिम जल भरण की प्रक्रिया एक आवश्यक पहलू है जो कि हर तरह से लाभप्रद है। इससे भूजल के रूप में वर्षा एवं अतिरिक्त जल बचा कर रखा जा सकता है, जिससे राज्य में गिरते भू जल स्तर की रोकथाम के साथ–साथ भूजल की गुणवत्ता में भी आवश्यक सुधार लाया जा सकेगा। साथ ही उक्त संरचनाएं पर्यावरण के अनुकूल है।

राज्य में वर्षाकाल में बहुत अधिक मात्रा में जल व्यर्थ बहकर चला जाता है। जिसकी एक–एक बूंद का संचय, संग्रहण एवं पुर्नभरण किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के प्रत्येक गांव में तकनीकी रूप से उपयुक्त रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का निर्माण राज्य द्वारा **"कर्मभूमि से मातृभूमि"** अभियान के तहत किया जाना है।

राज्य के भामाशाहों, अप्रवासी राजस्थानियों द्वारा समय–समय पर सामाजिक सरोकारों हेतु राज्यहित में महत्वपूर्ण योगदान देते आये है। इसी क्रम में **"कर्मभूमि से मातृभूमि"**अभियान के अन्तर्गत राज्य में (प्रत्येक ग्राम पंचायत में 4) लगभग कुल 45000 रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का निर्माण भामाशाहों, अप्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से crowd funding द्वारा व कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी निधि(CSR fund)के तहतकिया जाना है। उक्त राशि [illegible] एजेंसी को निर्माण हेतु MJSA पोर्टल के माध्यम से सीधे हस्तान्तरित की जायेगी। [illegible] रिचार्ज शाफ्ट के कार्यों को मॉनिटर भी किया जा सकता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.02.13 16:48:33 IST
Reason: Approved

इसी के साथ राज्य के विभिन्न विभागों की विभागीय योजना अनुसार उपलब्ध बजट प्रावधान अनुसार भी उक्त रिचार्ज शाफ्ट निर्माणकार्य संबंधित विभाग द्वाराविभागीय नियमानुसार भी किया जा सकता है, जिससे कन्वर्जेंस के माध्यम से **"कर्मभूमि से मातृभूमि"**अभियान के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा।

1."कर्मभूमि से मातृभूमि"अभियानके मुख्य उद्देश्य :

- भू–जल स्तर में वृद्धि करना एवं गिरते भू–जल के स्तर को रोकना।
- व्यर्थ बहने वाले वर्षा जल संग्रहण, पुर्नभरण एवं संरक्षण
- सतही जल का वाष्पीकरण की रोकथाम
- जलभृत में उत्पादकता को बढ़ाना
- बाढ़ के खतरे को कम करना
- सूखे के खतरे व प्रभाव को कम करना
- मृदा अपरदन को कम करना
- राज्य में भविष्य में विभिन्न उपयोग हेतु भूजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना

2. अभियान का कार्य क्षेत्र :

सम्पूर्ण राजस्थान की समस्त 352 पंचायत समितियों की11199 ग्राम पंचायतों में 45000 (प्रत्येक ग्राम पंचायत में 4) रिचार्ज शाफ्ट के कार्य वित्तीय वर्ष 2024–2025 में सम्पादित किये जायेंगे।

3. कार्य अवधि :

मुख्यमंत्री **"कर्मभूमि से मातृभूमि"अभियान** की कार्य अवधि 4 वर्ष रहेगी। विगत वर्ष के अनुभव के आधार पर रिचार्ज शाफ्ट की कार्ययोजना बनाई जाकर आगामी वर्षो में कार्य किया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार कार्य अवधि प्रशासनिक विभाग द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।

4. **"कर्मभूमि से मातृभूमि" अभियान के अन्तर्गत संस्थागत व्यवस्थाऐं :**

राज्य में **"कर्मभूमि से मातृभूमि" अभियान** के सुचारू क्रियान्वयन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाता है:

4.1 राज्य "कर्मभूमि से मातृभूमि" अभियान समिति

1	**माननीय मुख्यमंत्री**	**अध्यक्ष**
2	माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू–जल विभाग	सदस्य
3	माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग	सदस्य
4	माननीय वित्त मंत्री	सदस्य
5	माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
6	माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग	सदस्य
7	माननीय मंत्री आयोजना विभाग	सदस्य
8	माननीय मंत्री जनजाति क्षेत्र विकास विभाग	सदस्य
9	माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
10	माननीय मंत्री उद्योग विभाग	सदस्य
11	माननीय मंत्री राजस्व विभाग	सदस्य
12	माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
13	माननीय मंत्री स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
14	माननीय मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
15	माननीय मंत्री सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	सदस्य
16	मुख्य सचिव	सदस्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.02.13 16:48:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13589902

निम्नांकित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव		
17	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भू जल विभाग*	सदस्य सचिव
18	जल संसाधन विभाग	सदस्य
19	वित्त विभाग	सदस्य
20	ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
21	पंचायती राज विभाग*	सदस्य
22	आयोजना विभाग	सदस्य
23	जनजाति क्षेत्र विकास विभाग	सदस्य
24	वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
25	उद्योग विभाग	सदस्य
26	राजस्व विभाग	सदस्य
27	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
28	स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
29	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
30	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	सदस्य
31	दो विषय विशेषज्ञ, (एक भूजल पुर्नभरण कार्यों व एक जलग्रहण विकास कार्यो के कम से कम 20 वर्षो का अनुभव)	सदस्य

*** भूजल विभाग के प्रभारी सचिव नोडल अधिकारी एवं पंचायतीराज विभाग के प्रभारी सचिव अतिरिक्त नोडल अधिकारी रहेंगे।**

राज्य "कर्मभूमि से मातृभूमि"अभियान समिति समय–समय पर अभियान के सफल एवं समय पर कियान्वयन हेतु नीति निर्धारण एवं दिशानिर्देश जारी करेंगी।

4.2 राज्य स्तरीय निर्देशन समिति :

"कर्मभूमि से मातृभूमि" अभियान समिति के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में प्रभावी समन्वय, कन्वर्जेंस, योजना के कियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण एवं योजना के अन्तर्गत प्रगति की प्रभावी मॉनिटरिंग के उद्धेश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्देशन समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है, इस समिति का प्रशासनिक विभाग भूजल विभाग होगा।

1	**मुख्य सचिव**	**अध्यक्ष**
निम्नांकित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव		
2	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भू जल विभाग	सदस्य
3	जल संसाधन विभाग	सदस्य
4	वित्त विभाग	सदस्य
5	ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
6	पंचायती राज विभाग	सदस्य
7	आयोजना विभाग	सदस्य
8	जनजाति क्षेत्र विकास विभाग	सदस्य
9	वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
10	उद्योग विभाग	सदस्य
11	राजस्व विभाग	सदस्य
12	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
13	स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
14	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
15	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	सदस्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.02.13 16:48:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13589902

16	आयुक्त जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग	सदस्य
17	आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा	सदस्य
18	आयुक्त स्वच्छ भारत मिशन	सदस्य
19	मुख्य अभियन्ता, भू–जल विभाग	सदस्य सचिव
20	दो विषय विशेषज्ञ, (एक भूजल पुर्नभरण कार्यों व एक जलग्रहण विकास कार्यो के कम से कम 20 वर्षो का अनुभव)	सदस्य

राज्य स्तरीय निर्देशन समिति की बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्ष महोदय की सहमति प्राप्त कर आहूत की जायेगी। राज्य स्तरीयनिर्देशनसमिति हेतु आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अधिकारियो को भी बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा।

4.3 जिला स्तरीय समिति :

जिला स्तर पर **"कर्मभूमि से मातृभूमि" अभियान** की कार्य योजना का क्रियान्वयन, विभिन्न विभागों के कार्यो की प्रगति, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एजेंसी द्वारा किये जा रहे कार्य की समीक्षा करने हेतुजिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता हैः–

1	**जिला कलक्टर**	**अध्यक्ष**
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	**कार्यकारी अध्यक्ष**
	निम्नांकित विभागों के जिला स्तर पर पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी	
3	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
4	जल संसाधन विभाग	सदस्य
5	वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
6	उद्योग विभाग	सदस्य
7	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
8	स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
9	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
10	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	सदस्य
11	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग	सदस्य
12	जिला समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा	सदस्य
13	स्वच्छ भारत मिशन	सदस्य
14	भू–जल विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा नामांकित अधिकारी	सदस्य सचिव
15	दो पंजिकृत गैर सरकारी संस्थाएं (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
16	प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों/विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि (दो)	सदस्य
17	जिले के समस्त माननीय सांसद एवं विधायक	विशेष आमंत्रित सदस्य

माह में कम से कम एक बार जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जावेगी।

4.3.1 जिला स्तरीय समिति के कार्यः

1. अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से दो अकार्यशील/नकारा बोरवेल (हैण्डपम्प/नलकूप) स्थल चिन्हित करवाना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.02.13 16:48:33 IST
Reason: Approved

2. इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 रिचार्ज शाफ्ट स्थान पंचायतीराज विभाग/भूजल विभाग के माध्यम से चिन्हित करवानां जहाँ पर अतिरिक्त सतही/वर्षा जल इकट्ठा होता हो।
3. प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपरोक्त 4 स्थानों पर रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण कार्य का अनुमोदन करना।
4. अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग, क्रियान्वयन हेतु प्रबोधन एवं समीक्षा करना।
5. जल संरक्षण एवं पुर्नभरण कार्यो हेतु कॉर्पोरेट जगत, गैर सरकारी संस्थाओं एवं क्राउड फंडिग के संसाधनों के उपयोग हेतु व्यवस्था करना।
6. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों में राशि का अभिसरण (convergence of funds) सुनिश्चित करवाना।
7. अनुभव एवं तकनीकी दक्षता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा चयनित एंजेसी के माध्यम से कार्य संपादित करवाना।
8. स्ववित्त पोषण से रूचि लेकर स्वतः के संसाधनों से कार्य करने वाली एजेंसीयो को प्रोत्साहित कर उनके माध्यम से कार्य संपादित करवाना।
9. जिला कार्य योजना तैयार कर राज्य स्तर पर नोडल विभाग को प्रस्तुत करना।
10. जिला स्तरीय भूजल वैज्ञानिक की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर स्थल चयन, फिजिबिलिटी व क्षेत्र के भूजल परिदृश्य के आधार पर संरचना निर्माण सुनिश्चित करवाना।
11. इन कार्यो को क्रियान्वित करने वाली 5 ड्रिलिंग ऐजेंसियों का चयन करना।
12. इन ड्रिलिंग ऐजेंसियों का चयन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के निर्देशन में जन. स्वा अभि. विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जायेगा और यह सूची Ready to use उद्देश्य से पोर्टल पर प्रसारित करवाना।
13. जिला स्तर पर निर्धारित तकनिकी डिजाईन एवं निर्धारित लागतनुसार कार्य क्रियांवयन करवाना।
14. रिचार्ज शाफ्ट के विभिन्न कम्पोनेन्टस के रेट कॉन्ट्रेक्ट निर्धारित करवाना। उक्त रेट मार्गदर्शन एवं सुलभसंदर्भ हेतु होंगे। वास्तविक राशि संबंधित भामाशाह एवं कार्यकारी एजेंसी के मध्य आपसी सहमति से तयहोगी।
15. सी एस आर उद्देश्य पूर्ति हेतु प्रमाण पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगें। (उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समायोजनबिन्दु 11 के अनुसार)

जिला स्तरीय समिति हेतु आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अधिकारियो को भी बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा।

4.4 नोडल विभाग :

"कर्मभूमि से मातृभूमि" अभियान हेतुभूजल विभाग प्रशासनिक विभाग रहेगा। जिला कलक्टर योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला नोडल अधिकारी रहेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतिरिक्त जिला नोडल अधिकारी रहेगें।

4.5 रिचार्ज शाफ्ट के डोनेशन का प्रोसेस फ्लो

4.5.1 नागरिक/भामाशाह को रिचार्ज शाफ्ट के डोनेशन के लिए मुख्यमंत्री [illegible] जल स्वावलम्बन अभियान (एमजेएसए) पोर्टल पर mjsa.water.rajasthan.gov.in [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.02.13 16:48:33 IST
Reason: Approved

4.5.2 उसके बाद रिचार्ज शाफ्ट के डोनेशन के लिए नागरिक/भामाशाह को एमजेएसए पोर्टल पर "कर्मभूमि से मातृभूमि" बटन पर क्लिक करना है।

4.5.3 उसके बाद SSO लॉग इन पर क्लिक करके लॉग इन करना है।

4.5.4 इसके बाद कंपनी अथवा स्वयं में से एक ऑप्शन select करना है। ("यदि कंपनी से काम करवाना है तो कंपनी ऑप्शन select करना है और यदि स्वयं से काम करवाना है तो स्वयं ऑप्शन select करना है।)

4.5.5 यदि कंपनी से काम करवाना है तो जिस कंपनी से काम करवाना है उसे चुनना है। उसके बाद जिला, ब्लॉक और ग्राम का चयन करना है। उसके बाद दान राशि भर कर भुगतान के लिए आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करना है।

4.5.6 यदि यूजर को स्वयं से काम करवाना है तो उसको सबसे पहले जिला, ब्लॉक और ग्राम का चयन करके उसके बाद आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करना है।

4.5.7 जैसे ही नागरिक/भामाशाह की भुगतान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसकी जानकारी नागरिक/भामाशाह, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय समिति के पास अपलोड हो जाएगी।

4.6 "कर्मभूमि से मातृभूमि" अभियान के संचालन हेतु जिला कलक्टर को विशिष्ट अधिकारः

4.6.1 जिले में "कर्मभूमि से मातृभूमि" अभियान हेतु जिला कार्य योजना तैयार करना, मॉनिटरिंग, क्रियान्वयन, प्रबोधन एवं मूल्यांकन हेतु विभिन्न योजनाओं में कन्वर्जेन्स के अधिकार।

4.6.2 क्रियान्वयन हेतु समितियों का गठन, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों के चयन का अधिकार।

4.6.3 वित्त पोषण हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं, दानदाताओं, सीएसआर, एनआरआई एवं अन्य भामाशाहों से मशीन, मानव, धन आदि की व्यवस्था का अधिकार।

4.6.4 जिले में पदस्थापित कार्मिकों/अधिकारियों को योजना से संबंधित कार्य आवंटन का अधिकार।

5 रिचार्ज शाफ्ट के स्थल चयन की प्रक्रिया :

अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से दो अकार्यशील/नकारा बोरवेल (हैडपम्प/नलकूप) स्थान एवं अतिरिक्त सतही/वर्षा जल इकट्ठा होने वाले दो नये स्थानों(जल भराव क्षेत्र/ग्राम तालाब आदि) का चयन पंचायतीराज विभाग/भूजल विभाग के माध्यम से करवाया जायेगा। इन स्थानों पर रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा।

राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रस्तावित रिचार्ज शाफ्ट स्थल का चयन किये जाने के पश्चात भूजल विभाग द्वारा प्रस्तुत तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तरीय समिति द्वारा स्थल, फिजिबिलिटी व संरचना प्रकार का अनुमोदन किया जायेगा। अनुमोदन पश्चात योजना के अन्तर्गत कार्य सम्पादित करवाये जायेंगे। भूजल विभाग की रिपोर्ट के आधार पर किसी ग्राम पंचायत में 4 से अधिक रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण भी किया जा सकता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.02.13 16:48:33 IST
Reason: Approved

6 निधि की उपलब्धता एवं उपयोगिता :

ग्राम कार्य योजना का जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन पश्चात् यह गणना की जायेगी कि विभागों द्वारा वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं में कितनी रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

इसके पश्चात जिला स्तरीय समिति द्वारा यह आंकलन किया जायेगा कि कितने अन्य कार्यो के लिए पृथक से राशि जुटाने की आवश्यकता होगी। यह राशि भामाशाहों, प्रवासी राजस्थानियों एवं सीएसआर फण्ड के माध्यम से जुटाई जायेगी। उपरोक्त राशि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एजेंसी को सीधे ही हस्तान्तरित कर एजेंसी के माध्यम से कार्य करवाया जायेगा।

एजेंसी द्वारा निर्मित रिचार्ज शाफ्ट का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित जिला स्तरीय भूजल वैज्ञानिक की रिपोर्ट के आधार परजिला स्तरीय समिति द्वारा दिया जायेगा।

सीएसआर अन्तर्गत कॉरपोरेट जगत/गैर सरकारी संस्थाओं/ट्रस्ट/भामाशाहों आदि को स्वतंत्रता होगी कि जिला कार्य योजना के अन्तर्गत जिला कलक्टर द्वारा बनाये गये नियमों एवं निर्देशानुसार किसी ग्राम विशेष की सम्पूर्ण कार्य योजना अथवा कार्य योजना की विशिष्ट गतिविधि/गतिविधियों को स्वयं अपने स्तर से विभागीय अधिकारियों के तकनीकी मार्गदर्शन में क्रियान्वित कर सकेंगे।

7 योजना का क्रियान्वयन

7.1 कार्य नीति एवं पद्वति (Strategy and Approach)

7.6.1 "कर्मभूमि से मातृभूमि" अभियान के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में 4 रिचार्ज शाफ्ट स्थल का चयनबिन्दु संख्या 5 की प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

7.6.2 विभागों द्वारा उनकी योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण की गई रिचार्ज शाफ्ट को कन्वर्जेंस के माध्यम से "कर्मभूमि से मातृभूमि" अभियान में सम्मिलित किया जायेगा।

7.6.3 जिला स्तरीय समिति द्वारा शेष निर्माण की जाने वाली रिचार्ज शाफ्ट का आंकलन किया जायेगा तथा भामाशाहों, अप्रवासी राजस्थानियों एवं सीएसआर फण्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि से एजेंसी के माध्यम से इनका निर्माण करवाया जायेगा।

7.6.4 एजेंसी द्वारा निर्मित रिचार्ज शाफ्ट का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित जिला स्तरीय भूजल वैज्ञानिक की रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया जायेगा।

7.6.5 सीएसआर अन्तर्गत कॉरपोरेट जगत/गैर सरकारी संस्थाओं/ट्रस्ट/भामाशाहों आदि को स्वतंत्रता होगी कि जिला कार्य योजना के अन्तर्गत किसी ग्राम में रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण को स्वयं अपने स्तर से क्रियान्वित कर सकेंगे।

7.6.6 जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा निर्माण की गई रिचार्ज शाफ्ट की जिओ टेंगिंग की जायेगी।

8 सीएसआर/एनजीओ/ट्रस्ट आदि की भागीदारी :

"कर्मभूमि से मातृभूमि" अभियान के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में 4 रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण हेतु भामाशाहों, कॉर्पोरेट जगत, गैर सरकारी संस्थाओं, धार्मिक–सामाजिक ट्रस्टों, वैयक्तिक समूहों, जन–सहयोग आदि से यथा संभव सहयोग एवं भागीदारी प्राप्त की जायेगी।

सीएसआर अन्तर्गत कॉरपोरेट जगत/गैर सरकारी संस्थाओं/ट्रस्ट/भामाशाहों आदि को स्वतंत्रता होगी कि जिला कार्य योजना के अन्तर्गत किसी ग्राम में रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण को स्वयं अपने स्तर से क्रियान्वित कर सकेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.02.13 16:48:33 IST
Reason: Approved

इसके अतिरिक्त इनके द्वारा सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में संबंधित संगठन/संस्थाए अपना प्रचार–प्रसार कर सकेगी किन्तु उक्त के साथ राज्य सरकार की सहभागिता संबंधी बिन्दु भी प्रकाशित किया जायेगा।

9 मॉनिटरिंग एवं प्रगति समीक्षा (Monitoring and Progress Review):

9.1 **''कर्मभूमि से मातृभूमि''** अभियान में भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण की समस्त समीक्षा नोडल विभाग (भूजल विभाग) द्वारा जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल ''जल संचयन जन भागीदारी'' पर ऑनलाईन सूचना के आधार पर की जावेगी।

9.2 वेबसाईट एवं मोबाईल एप से संबंधित समस्या का निराकरण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के सहयोग से किया जावेगा।

10 कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना :

"कर्मभूमि से मातृभूमि" अभियान में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर एंव जिला स्तर से नामित कार्मिकों द्वारा समय समय पर कार्यो का निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों को जिला कलक्टर द्वारा उनकी अनुपालना संबधित विभागों के माध्यम से सुनिश्चित करवायी जावेगी।

11 उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समायोजन

"कर्मभूमि से मातृभूमि" अभियान में विभागों द्वारा सम्पादित किये गये कार्यो का सक्षम अधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे।

Crowd Fundingके माध्यम से एकत्रित एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एजेंसी को हस्तान्तरित राशि से निर्मित रिचार्ज शाफ्ट, सीएसआर अन्तर्गत कॉरपोरेट जगत/गैर सरकारी संस्थाओं/ट्रस्ट/भामाशाहों द्वारा स्वयं से निर्मित रिचार्ज शाफ्ट का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया जायेगा।

सी एस आर उद्देश्य पूर्ति हेतु प्रमाण पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगें।

12 अभियान के परिणाम (Output)

"कर्मभूमि से मातृभूमि"अभियान में क्रियान्वित गतिविधियों के लक्षित उददेश्यों की पूर्ति हेतु नोडल विभाग (भू–जल विभाग) द्वारा समय–समय पर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

"कर्मभूमि से मातृभूमि"अभियान राज्य में जल की उपलब्धता की कमी के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी सफलता तब ही संभव है जब जन साधारण की सक्रिय भागीदारी योजना के साथ सुनिश्चित की जाये एवं योजना को जन आंदोलन का रूप देकर समयबद्ध रूप से सभी की सक्रिय भागीदारी के साथ पूर्ण किया जाये।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि "कर्मभूमि से मातृभूमि"अभियान हेतु समयबद्ध कार्य सम्पादन किया जावें एवं उपर्युक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Signature Not Verified
(**शै[illegible]शवाहा**)
[illegible]
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.02.13 16:48:33 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता– कमरा नं. 2209, शासन सचिवालय, जयपुर।
फोन नं. 0141–2923632,2923633 ई–मेल आई डी – ard.ds3@rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग
4 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग
5 विशिष्ठ सहायक, माननीय वित्त मंत्री
6 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग
7 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग
8 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री आयोजना विभाग
9 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री जनजाति क्षेत्र विकास विभाग
10 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग
11 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री उद्योग विभाग
12 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री राजस्व विभाग
13 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
14 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री स्वायत्त शासन विभाग
15 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग
16 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
17 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

18 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भू–जल विभाग।
19 उद्योग विभाग।
20 ग्रामीण विकास विभाग
21 पंचायतीराज विभाग
22 वन एवं पर्यावरण विभाग।
23 सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
24 वित्त विभाग।
25 राजस्व विभाग
26 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
27 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
28 आयोजना विभाग।
29 जल संसाधन विभाग।
30 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
31 स्वायत्त शासन विभाग।
32 सम्भागीय आयुक्त समस्त
33 सयुंक्त सचिव (एसएके), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
34 आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर।
35 आयुक्त, स्वच्छ भारत मिशन।
36 आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.02.13 16:48:33 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता– कमरा नं. 2209, शासन सचिवालय, जयपुर।
फोन नं. 0141–2923632,2923633 ई–मेल आई डी – ard.ds3@rajasthan.gov.in

37 निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, जयपुर।

38 जिला कलक्टर समस्त

39 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त विकास अधिकारियों एवं अन्य सभी विभागीय अधिकारियों को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध करावें।

40 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

41 मुख्य अभियंता, जल संसाधन/सिंचित क्षेत्र विकास/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/भू जल विभाग/स्वायत्त शासन विभाग/नगरीय विकास विभाग।

42 परियोजना प्रबंधक एवं अधीक्षण अभियंता, वाटरशैड सेल कम डेटा सेन्टर समस्त।

43 निजी आरक्षी पंजिका।

शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.02.13 16:48:33 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता– कमरा नं. 2209, शासन सचिवालय, जयपुर।
फोन नं. 0141–2923632,2923633 ई–मेल आई डी – ard.ds3@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No.: 13589902